

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)  
**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**  
**FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT**  
**DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**

No.3(13)/Fin.(Rev-I)/2012-13 /*alsvi/180*

Dated the *28/2* 2013

**NOTIFICATION**

Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary in the interest of general public so to do.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 16 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) (hereinafter referred to as "the Act"), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, subject to the compliance of the conditions specified hereunder against the class(es) of dealers/ contractors specified in column (2) of the Table below, and other general and particular conditions as are specified in this notification, and in supersession of the Notifications No.F.3(78)Fin.(T&E)2005-2006/1508-kha dated 17-3-2006 hereby, provides for the Composition Scheme for every registered dealer engaged **exclusively** in carrying out works contracts for cash or for deferred payment or for valuable consideration in Delhi as under, namely:-

"Table"

Category	Nature of Works Contracts	Composition Tax Rate [As percentage of entire turnover in relation to works contracts in Delhi]	
		Scheme A	Scheme B
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p>Every registered dealer engaged in execution of works contracts of the following categories and incidental or ancillary activities in connection with or thereto:</p> <p><b>(A) Civil Contracts, such as,</b></p> <p>(i) Civil construction, improvement, modification, repair and maintenance, electrification, sanitary fittings, flooring, plastering, finishing, white washing, painting, polishing, interior decoration, etc. of any immovable property, including a building or a complex - residential or commercial.</p> <p>(ii) Water works and Sewerage works, including treatment plants, whether meant for individual houses/buildings/ complexes or for the general public.</p> <p>(iii) Fabrication &amp; fixing of shutters, doors, gates, windows, grills, furniture, fixtures, fitting outs and other similar contracts.</p>	3	6

	<p>(iv) Procurement, erection, fabrication, installation commissioning of any plant, machinery, equipment, transformers, lifts, elevators, escalators, weighing machines, air conditioners, air coolers, fire-fighting systems, audio-visual systems, security systems, computer systems, EPABX/telecommunication system and other similar contracts.</p> <p>(v) Construction and maintenance of Civil works, such as,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Green houses and other similar structures.</li> <li>• Swimming pools.</li> <li>• Bridges, flyovers, dams, barriers, diversions, or other similar structures.</li> <li>• Canal, spillways or other similar activities.</li> <li>• Roads, causeways, subways, or other similar contracts.</li> <li>• Rail, railway overbridges or other similar activities.</li> </ul> <p>(vi) Any other contract for civil construction and maintenance as may be notified by the Commissioner.</p> <p><b>(B)</b> Repair &amp; maintenance of any moveable property, including vehicles, annual maintenance contracts (<b>AMCs</b>) and other similar contracts.</p> <p><b>(C)</b> All other types of works contracts, including those involving moveable goods, not specified elsewhere in this notification.</p>		
2	<p>Every registered dealer engaged in construction, of a complex, building, civil structure or a part thereof, including a residential unit or a complex or building, for sale whether wholly or partly, to a buyer before construction is complete, where the <u>value of land is included in the total consideration.</u></p> <p><b>Note:</b> Contracts where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority are excluded here.</p>	1	3

3	Every registered dealer engaged in (i) Printing and/or book-binding. (ii) Textile processing such as dying, fabrication, tailoring, embroidery and other similar activities. (iii) Electro plating, electro galvanizing, anodizing, powder coating and other similar activities. (iv) Re-treading of old tyres	2	3
---	--	---	---

The dealers paying composition tax under the Composition Scheme notified vide Notification No. F.3(78)/Fin.(T&E)/2005-06/1508 kha dated 17<sup>th</sup> March 2006, shall have the option to shift over to this Scheme, subject to the terms and conditions of this Scheme,:

Provided that the composition dealers under this notification shall not be eligible for the general composition scheme provided by Section 16(1) to 16(10) of the Act.

**Particular Conditions:**

**Scheme A:**

A registered dealer opting to pay composition tax under this Scheme shall:

- (i) not purchase or procure goods from any place outside Delhi at any time during the period for which he opts to avail this Scheme; and
- (ii) not sell or supply goods to any place outside Delhi at any time during the period for which he opts to avail this Scheme.

However, he may procure his own Plant & Machinery and Equipments from outside Delhi, meant exclusively for use in execution of the works contract by him.

**Scheme B:**

A registered dealer opting to pay composition tax under this Scheme shall be entitled to make purchases of goods required for the execution of the contract under this Scheme in the course of inter-State trade or commerce on the strength of his certificate of registration against declaration in Form-C or by way of inward transfer of stocks from other States against Form-F or by way of imports from other countries solely for the purposes of utilizing the same in the execution of works contract in Delhi only,:

Provided the dealer shall use the material/ goods imported or procured from outside Delhi strictly for use in execution of the works contract transactions.

**General Conditions:**

- (1) The composition dealer opting for composition under this notification, shall:
  - (i) not purchase or procure goods, other than those specified in the **First Schedule** appended to the Act, within Delhi, from a person who is not registered under the

- Act, except to the extent of 2% of his total purchase turnover during the year or ₹ 25 lakhs, whichever is lower;
- (ii) not be eligible to claim tax credit under section 9 and/ or section 15 of the Act;
  - (iii) not compute his net tax under section 11 of the Act;
  - (iv) not collect any amount by way of tax under the Act;
  - (v) not be entitled to issue 'Tax Invoices';
  - (vi) continue to retain the originals of all tax invoices and all the retail invoices for all his purchases and copies of all retail invoices issued by him as required under section 48 of the Act;
  - (vii) maintain separate records of all the purchases made within Delhi, or in the course of inter-State trade or commerce and by way of transfer of stock or from outside India;
  - (viii) issue only Retail Invoices, as per provisions of the Act and the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter called 'the Rules');
  - (ix) be eligible to claim set off of TDS only if on the date of filing of return, he is in possession of original TDS Certificate issued to him by the person making the deductions; and
  - (x) not entitled for refund before his assessment is made under section 32 of the Act.
- (2) All the provisions of the Act and the Rules, in so far as the same are not contrary to and inconsistent with this notification shall apply mutatis mutandis.
- (3) The term "composition dealer" means a contractor, or as the case may be a sub-contractor, who has opted for the composition scheme under this notification.
- (4) The term "sub-contractor" means any person who has been awarded a works contract by the main contractor, or the sub-contractor, as the case may be.
- (5) A dealer who opts to pay composition tax under the notification and executes different types of works contracts which are liable to tax at different rates under this notification, shall pay tax according to the rate applicable to each of such contracts.
- (6) The term "Turnover" for the purposes of this composition scheme means:
- (i) In relation to the category at serial No. (1) and (3), in Table total consideration, received or receivable by the dealer under the contract for transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of the contract together with the charges for labour, services and other like charges.
  - (ii) In relation to the category at serial No. 2, in Table the total consideration received or receivable by the dealer under the contract for transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of the contract, including the value of land, charges for supply of labour and services and other like charges.
- (7) The tax period for the composition dealer shall be a quarter, unless otherwise prescribed by the Commissioner for a dealer or class of dealers. However, the tax due shall be paid by the composition dealer on monthly basis, within 21 days of the end of the month.

- (8) In case a dealer has opted for this scheme but has failed to comply with the conditions specified herein or who, at any later stage, is found not eligible for having opted for this Scheme, all the provisions of the Act and Rules including the liability to pay tax under section 3, if any, shall apply mutatis mutandis as if the dealer had never opted for the composition scheme, from the financial year in which default had been committed and the amount deposited by such dealer as the composition tax, if any, shall stand forfeited.
- (9) The composition dealer who opts to pay composition tax under this scheme, shall make an application to the contractee/ awarder, not being an individual or a Hindu Undivided Family, authorizing it to deduct tax at source at such rate, as may be applicable to the contracts for which composition is opted by the dealer. The contractee shall deduct the TDS accordingly. The contractor shall not be able to claim benefit of the TDS in his return unless the contractee/ awarder has deposited the amount in the appropriate Government Treasury and the copy of the TDS Certificate obtained in the prescribed form and in the prescribed manner, along with challan in proof of such deposit is enclosed with the return.
- (10) Where any composition dealer, who has opted for composition scheme under this notification, sells, transfers or disposes of any capital assets, including plant, machinery and equipments, scrap, surplus, waste or discarded material, he shall not make such sale outside Delhi against Central Statutory Forms and shall pay tax on such sale, transfer or disposal at the rates specified in Section 4 of the Act, as if he had not opted for this Scheme.
- (11) No tax shall be payable under this Notification by a composition dealer on the amount representing the value of the goods supplied by the contractee to the contractor in the execution of works contract in which the ownership of such goods remains with the contractee under the terms of contract and the amount representing the value of the goods supplied by the contractee to the contractor does not form part of the contract and is not deductible from the amount payable to the contractor by the contractee for the execution of the works contract. Further, no TDS shall be deducted by the contractee on the value of goods supplied as such by it to the contractor.

#### **Modalities for availing the Scheme:**

- (1) The dealer applying for a fresh registration can opt for this scheme by filing an application in Form **WC 01** appended to this notification along with his registration application in Form **DVAT 04**.
- (2) A works contract dealer who is paying tax under section 3 of the Act, can opt for this scheme by filing an application in Form **WC 01** appended to this notification within thirty days from the first day of the financial year with effect from which composition is opted,:

Provided that a dealer who is paying tax under section 3 of the Act on the date of this notification, may opt for this scheme by filing an application in Form **WC 01** appended to this notification within a period of thirty days from the date of this notification:

Provided further that the dealer who is paying composition tax under the erstwhile Notification No. F.3(78)/Fin.(T&E)/2005-06/1508 kha dated 17<sup>th</sup> March 2006 may opt for the composition scheme under this notification by filing an application in Form **WC 01** appended to this notification within a period of thirty days from the date of coming into force of this notification.

- (3) A dealer paying tax under section 3 of the Act and opting to pay tax under this Scheme, shall be required to pay tax, at the rates specified in section 4 of the Act, on the entire opening stock of goods held by him on the first day of the period with effect from which the dealer opts to pay the tax under this Scheme. The dealer shall furnish, along with his application for availing for the composition scheme, the details of such stock and the payment of tax thereon in Form **SS 01** appended to this notification along with the copy of challan in proof of payment of tax in **DVAT 20**.
- (4) Once a dealer has opted to pay tax under this scheme, he shall, except under the circumstances specified at Sl. No. (6) below, not be eligible to withdraw his option before the end of the financial year.
- (5) A composition dealer who, having opted to pay composition tax under this scheme for a particular year, does not intend to opt for payment of composition tax under this scheme for the following year, shall, subject to the conditions contained in section 20 of the Act, in so far as they are applicable, and further subject to furnishing of intimation regarding withdrawal from this scheme in Form **WC 02** within thirty days from the end of the financial year, be eligible to claim credit of tax paid under the Act on the opening stock held by him on the first day of the year from which he opts out of the Scheme.
- (6) A composition dealer who has opted to pay tax under this scheme and has defaulted in furnishing the returns for two consecutive tax periods, by the prescribed due date for the latter tax period, shall, from the beginning of the tax period in respect of which the default was first committed:
  - (i) cease to be liable to pay tax under this scheme
  - (ii) be liable to pay tax under section 3 of the Act.

Such a dealer shall also, subject to the conditions contained in section 20 of the Act in so far as they are applicable and further subject to furnishing the intimation in Form **WC 02** within seven days after the end of due date prescribed for filing of return for the latter tax period in respect of which the default has been committed, be eligible to claim credit of the tax paid under the Act on the opening stock held by him in Delhi on the first day of the first tax period in respect of which the default was committed.

- (7) Where the composition dealer has made any payment to a registered sub-contractor, who also opts for composition under this notification, for the execution of works contract, whether wholly or partly, the composition dealer shall issue a certificate to such sub-contractor, in Form CC 01 appended to this notification. Such sub-contractor shall be eligible to deduct from his turnover liable to be taxed under this scheme, the amount mentioned in such certificate by enclosing it with his return. Such amount shall not constitute part of the turnover in Form DVAT 17 of such sub-contractor. The contractor shall not deduct TDS from payments made to such sub-contractors in respect of the turnover covered by the certificate.

This notification shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> April 2013.

**By order and in the name of the Lt. Governor**  
of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)  
Deputy Secretary-VI (Finance)

No.3(13)/Fin.(Rev-I)/2012-13 | c/svi/180  
Copy forwarded for information and necessary action to:

Dated: 28/2/2013

- (1) The Pr. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi with one spare copy for publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
- (2) The Pr. Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
- (3) The Pr. Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, IP Estate, New Delhi.
- (4) Pr. Secretary (Finance) Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
- (5) Commissioner, Value Added Tax, Department of Trade And Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- (6) The Secretary to the Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
- (7) The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- (8) The Addl. Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, IP Estate, New Delhi.
- (9) OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, IP Estate, New Delhi.
- (10) The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellant Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- (11) VAT Officer (Policy), Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, New Delhi.
- (12) Department of Trade & Taxes's Website
- (13) Guard File.
- (14) Website.

  
(Ravinder Kumar)  
Deputy Secretary-VI (Finance)

**Department of Trade & Taxes**  
**Government of NCT of Delhi**  
**Form WC 01**

[(See notification under section 16(12)]

**PART-A**

**Application Form for opting Composition by an eligible works contractor in respect of scheme as notified by Government under sub-section (12) of section 16**

1. TIN :																Ward No.				
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

2. Full Name of Applicant Dealer																				
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Full Address of Dealer																				
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Date with effect from which composition scheme is sought									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Applicable rate of composition tax**	<input type="checkbox"/> 1% of the turn over	<input type="checkbox"/> 2% of the turn over	<input type="checkbox"/> 3% of the turn over	<input type="checkbox"/> 6% of the turn over
---	--	--	--	--

\*\* please tick in the appropriate box or boxes

6. Turnover in the preceding year (Rs.)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Estimated Turnover in the current year (Rs.)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Tax Payable on Opening Stock held on the first day with effect from which scheme is being opted.	Description*	Tax Payable (Rs.)			
	(i) Trading Stock				
	(ii) Raw material				
	(iii) Packaging Material				
	(iv) Finished Goods				
	Total				

(\* Please complete Part- B)

9. Details of Composition Tax paid calculated as per (8) above	Description				
	(i) Amount of composition tax paid* (Rs.)				
	(ii) Date of Deposit		/		/
		Dd	mm		yyyy
	(iii) Challan No. if any				

(\* Please attach original challan / proof of deposit)

Name and Signature of applicant / authorized signatory

<p>10. Verification</p> <p>I/We _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</p> <p>Signature of Authorized Signatory _____</p> <p>Full Name (first name, middle, surname) _____</p> <p>Designation/Status _____</p>
--

Place																			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date												
	Day	Month	Year									



Government of NCT of Delhi  
**Form WC 01**  
 [See notification under section 16(12)]  
**(PART-B)**

**Details of the Stock held on the first day [i.e. on \_\_\_\_\_ (date)] of the period for which the composition is sought**

**(i) Details of Trading Stock**

	Rate wise details of the Trading Stock	Purchase Value (Rs.)	Fair Market Value* (Rs.)	Tax Payable (Rs.)
A	Goods taxable at 1%			
B	Goods taxable at 5%			
C	Goods taxable at 12.5%			
D	Goods taxable at 20%			
E	Total		Carry to field (8)(i) of part A	

(\* As at opening day of the period for which the composition is being opted)

**(ii) Details of Raw Material**

	Rate wise details of the Raw Material	Purchase Value (Rs.)	Fair Market Value* (Rs.)	Tax Payable (Rs.)
A	Goods taxable at 1%			
B	Goods taxable at 5%			
C	Goods taxable at 12.5%			
D	Goods taxable at 20%			
E	Total		Carry to field (8)(ii) of part A	

(\* As at opening day of the period for which the composition is being opted)

**(iii) Details of Packaging Material**

	Rate wise details of the Packaging Material	Purchase Value (Rs.)	Fair Market Value* (Rs.)	Tax Payable (Rs.)
A	Goods taxable at 1%			
B	Goods taxable at 5%			
C	Goods taxable at 12.5%			
D	Goods taxable at 20%			
E	Total		Carry to field (8)(iii) of part A	

(\* As at opening day of the period for which the composition is being opted)

**(iv) Details of Finished Goods**

	Rate wise details of the Finished Goods	Purchase Value (Rs.)	Fair Market Value* (Rs.)	Tax Payable (Rs.)
A	Goods taxable at 1%			
B	Goods taxable at 5%			
C	Goods taxable at 12.5%			
D	Goods taxable at 20%			
E	Total		Carry to field (8)(iv) of part A	

(\* As at opening day of the period for which the composition is being opted)

Name and signature of applicant / authorized signatory

**(v). Verification**

I/We \_\_\_\_\_ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory \_\_\_\_\_

Full Name (first name, middle, surname) \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
 Day \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_

Department of Trade and Taxes  
Government of NCT of Delhi  
**Form WC 02**  
[See notification under section 16(12)]  
**(PART-A)**

**Application Form for withdrawing from Composition by a works contractor in respect of scheme as notified by Government under sub-section (12) of section 16**

1. TIN		Ward No.	
--------	--	----------	--

2. Full Name of Applicant Dealer	
----------------------------------	--

3. Full Address of Dealer	
---------------------------	--

4. Date with effect from which withdrawal from composition scheme is sought	
---	--

5. Turnover in the preceding year	(Rs.)	
-----------------------------------	-------	--

6. Reasons for withdrawal from composition scheme	

7. Input tax on goods purchased and lying in stock in Delhi on 1 <sup>st</sup> day from which withdrawing from composition scheme is sought	Description*	Input tax (Rs.)
	(i) Trading Stock	
	(ii) Raw Material	
	(iii) Packaging Material	
	(iv) Finished Goods	
	Total	

(\* Please complete Part B)

Name and signature of applicant / authorized signatory

<b>8. Verification</b>	
I/We _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.	
Signature of Authorised Signatory	_____
Full Name (first name, middle, surname)	_____
Designation	_____

Place	
-------	--

Date					
Day	Month	Year			



Department of Trade and Taxes  
Government of NCT of Delhi  
**Form SS 01**  
[See notification under section 16(12)]

**Statement of opening stock held on the first day of the period for which composition is to be opted**

1. TIN \_\_\_\_\_
2. Full Name of Business \_\_\_\_\_
3. Total Value of the Stock as on first day of the period  
for which composition scheme is to be opted \_\_\_\_\_
4. Details of Stock purchases (as per Table below) \_\_\_\_\_

**Table**

S.No.	Description of goods	Quantity	Purchase Value

\* The above table can be prepared and attached with the form as per the requirement

**Certification of Details**

I/We _____ hereby certify that all the above-mentioned stock details are true and correct to the best of my/our knowledge. Further certified that the particulars indicated above are the correct version of the documents, which are in my/our possession and can be produced before the Value Added Tax Department on demand. Signature of the dealer Name: Address: Date: Place:
--



दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वित्त (राजस्व-1) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110 002.

सं0फा0 3/13/वित्त (राज-1)/2012-13/ SI 275 VI/180

दिनांक:- 28/2/2013

**अधिसूचना**

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

अतः अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3 तत्पश्चात् इसे अधिनियम से उल्लेखित किया जाएगा) की धारा 16 की उपधारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों/संविदाकारों की श्रेणी (श्रेणियों) के सामने इसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट अन्य साधारण तथा विशेष शर्तों के अनुपालन के अधीन तथा दिनांक 17.3.2006 की अधिसूचना सं0 फा0 3/78/वित्त/टी एण्ड ई/2005-2006/1508-ख के अधिक्रमण में इसके द्वारा धनराशि के लिये या विलम्बित भुगतान के लिये या दिल्ली में मूल्यवान प्रतिफल के लिये विशेष रूप से निर्माण संविदा में कार्यरत प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी के लिये निम्नलिखित समझौता योजना की व्यवस्था करते हैं, अर्थात् :-

**"तालिका"**

श्रेणी	निर्माण कार्य संविदा की प्रकृति	समझौता कर दर (दिल्ली में निर्माण कार्य संविदाओं से संबंधित सारी कुल बिक्री का प्रतिशत)	
		योजना (क)	योजना (ख)
1	2	3	4
1	<p>निम्नलिखित श्रेणियों अथवा इससे संबंधित या इसकी प्रासंगिक या सहायक गतिविधियों की निर्माण कार्य संविदाएं के निष्पादन में कार्यरत प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी</p> <p><b>क. सिविल संविदाएं जैसे:</b></p> <p>(i) किसी अचल संपत्ति का, जिसमें किसी भवन या प्रांगण-आवासीय या वाणिज्यिक सहित सिविल निर्माण कार्य, सुधार, परिवर्तन, मरम्मत तथा रखरखाव, विद्युतीकरण सेनेटरी फिटिंग, फर्श निर्माण, दीवारों का प्लास्टर, फिनिशिंग, पुताई, पेंटिंग, पोलिशिंग, आन्तरिक सज्जा आदि।</p> <p>(ii) जल प्रकार्य तथा मलशोधन प्रकार्य जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल है, चाहे निजी मकान/भवन/परिसर के लिये हो या जनसाधारण के लिये।</p> <p>(iii) शटरों, दरवाजों, गेटों, खिड़कियों, ग्रिलों, फर्नीचर, फिक्चर, फिटिंग आउट का निर्माण तथा लगाना और इस प्रकार की अन्य संविदाएं।</p>	3	6

	<p>(iv) किसी संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, ट्रांसफार्मस लिफ्टों, उत्पाक (इलीवेटर्स) चल सोपान/सीढ़ी, भार तोलने की मशीन, वातानुकूलन (एयर कंडीनिशनयर्स), एयर कूलर, आग बुझाने की प्रणाली, दृश्य श्रव्य प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली, कम्प्यूटर प्रणाली, ईपीएबीएक्स, दूरसंचार प्रणाली का प्रापण, लगाना/स्थापित करना, निर्माण प्रतिस्थापन प्रारंभ करना और इस प्रकार की अन्य संविदाएं।</p> <p>(v) सिविल निर्माण का निर्माण और रखरखाव, जैसे;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ग्रीन हाउस तथा इसी प्रकार की अन्य संरचनाएं।</li> <li>• तरणताल।</li> <li>• सेतु, फलाई ओवर, बांध, बेरियर्स, मोड़ या इस प्रकार की अन्य गतिविधियां।</li> <li>• नहर, बिखराव मार्ग, स्पिलवेज या इस प्रकार की अन्य संविदाएं।</li> <li>• सड़क काजवेज, उपमार्ग या इसी प्रकार की अन्य संविदाएं।</li> <li>• रेल, रेल ओवर ब्रिज या इसी प्रकार की अन्य संविदाएं।</li> </ul> <p>(vi) सिविल निर्माण कार्य एवं मरम्मत के लिये कोई अन्य संविदा जैसा आयुक्त द्वारा यथानुमोदित हो।</p> <p>(ख) किसी चल संपत्ति की मरम्मत तथा रखरखाव इसमें वाहन, वार्षिक रखरखाव संविदाएं (एएमसी) और इसी प्रकार की अन्य संविदाएं शामिल हैं।</p> <p>(ग) सभी अन्य प्रकार के निर्माण कार्य जिसमें चल माल से संबंधित भी शामिल हैं, जो इस अधिसूचना में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।</p>		
2	<p>जहां निर्माण कार्य पूरा होने से पहले किसी खरीदार को पूर्णतः या अंशतः बिक्री के लिये, जहां भूमि का मूल्य कुल प्रतिफल में शामिल है, वहां जो किसी परिसर/प्रांगण, भवन सिविल निर्माण कार्य या इसके भाग जिसमें कोई आवासीय युनिट या कोई परिसर या भवन शामिल है, के निर्माण में कार्यरत प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी:</p> <p><b>टीपः</b> वे संविदाएं, जिनमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन संपूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत प्राप्त पूरा प्रतिफल/पूरी धनराशि शामिल नहीं की गई है।</p>	1	3
3	<p>निम्न कार्यों में लगे प्रत्येक पंजीकृत डीलर</p> <p>(i) प्रिंटिंग एवं/या बुक-बाइंडिंग</p> <p>(ii) टैक्सटाइल प्रोसेसिंग जैसे- डाइडिंग, फैबरीकेशन, टेलरिंग, एम्ब्राइडरी तथा अन्य इसी प्रकार की गतिविधियां।</p> <p>(iii) इलैक्ट्रो प्लेटिंग, इलैक्ट्रो गैल्वनाइजिंग, एनॉडिजिंग, पाउडर कोटिंग तथा अन्य इसी प्रकार की गतिविधियां।</p> <p>(iv) पुराने टायरों की रीट्रेडिंग।</p>	2	3

दिनांक 17 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं० एफ 3 (78)/वित्त (टी एंड ई)/2005-06/1508ख में अधिसूचित समझौता योजना के अंतर्गत समझौता करने वाले डीलरों के पास यह विकल्प होगा कि वे इस योजना को अपना सकें, बशर्ते इस योजना की निबंधन एवं शर्तों के तहत:

बशर्ते कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले समझौता डीलर इस अधिनियम की धारा 16 (1) से 16 (10) द्वारा प्रदत्त "सामान्य समझौता योजना" के लिए पात्र नहीं होंगे।

**विशिष्ट शर्तें :**  
**योजना क:**

इस योजना के अंतर्गत समझौता कर अदा करने वाला पंजीकृत डीलर :

- (i) इस योजना को अपनाते समय उस अवधि के दौरान दिल्ली से बाहर किसी भी स्थान से गुड्स नहीं खरीदेगा या प्राप्त करेगा; तथा
- (ii) इस योजना को अपनाते समय उस अवधि के दौरान दिल्ली से बाहर किसी भी स्थान पर सामान नहीं बेचेगा या सप्लाई करेगा।

यद्यपि वह स्वयं के लिए दिल्ली से बाहर से प्लांट एवं मशीनरी एवं उपस्कर खरीद सकता है, जो कि केवल उसके द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयोग किए जाएंगे।

**योजना ख:**

इस योजना के अंतर्गत समझौता कर अदा करने वाला पंजीकृत डीलर इस योजना के अन्तर्गत संविदा के निष्पादन के लिए अपेक्षित सामान की खरीद का पात्र होंगे जैसे फार्म-सी में घोषणा के विरुद्ध उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र की शक्ति पर इंटर-स्टेट ट्रेड या कॉमर्स की प्रक्रिया या फार्म-एफ के विरुद्ध अन्य राज्यों से स्टॉक के इनवर्ड ट्रांसफर से या अन्य देशों से आयात द्वारा जिसका प्रयोग पूर्णतः केवल दिल्ली में कार्य संविदा के निष्पादन में किया जाएगा;

बशर्ते डीलर के द्वारा दिल्ली के बाहर से आयातित या खरीदी सामग्री/गुड्स का प्रयोग कार्य संविदा के लेन-देन के निष्पादन में किया जाएगा।

**सामान्य शर्तों:**

- (1) इस अधिसूचना के अंतर्गत समझौता के लिए विकल्प देने वाले समझौता डीलर:
- (i) दिल्ली के अन्दर अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति पंजीकृत नहीं है अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सामान के अलावा खरीद या प्रापण नहीं करेगा, वर्ष के दौरान उसकी कुल खरीद का विस्तार कुल बिक्री का 2 प्रतिशत या रुपये 25 लाख रुपये का, इनमें से जो निम्न हों;
- (ii) धारा 9 तथा/या अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा करने का पात्र नहीं होगा;
- (iii) अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अपने नेट टैक्स का परिकलन नहीं करेगा;
- (iv) अधिनियम के अंतर्गत कर के रूप में कोई राशि एकत्र नहीं करेगा;
- (v) 'टैक्स इनवायस' जारी करने का पात्र नहीं होगा;
- (vi) अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत अपनी सभी खरीद के लिए सभी मूल टैक्स इनवायस, सभी रिटेल इनवायस तथा उसके द्वारा जारी किये गये सभी रिटेल इनवायस की सभी प्रतियां निरंतर बनाये रखेगा;
- (vii) दिल्ली के अंदर, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य तथा भारत से बाहर से या स्टॉक स्थानांतरण द्वारा की गई सभी खरीद के अलग रिकार्ड का अनुरक्षण करेगा;
- (viii) अधिनियम तथा दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2005 (जिसे तत्पश्चात नियम कहा जाएगा) के प्रावधान के अनुसार केवल रिटेल इनवायस जारी करना;



- (ix) यदि कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उसे जारी मूल टी डी एस प्रमाणपत्र के उनके स्वामित्व, रिटर्न दायर करने तिथि पर केवल टी डी एस के दावा का पात्र होगा; तथा
- (x) अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत आकलन से पूर्व वह रिफंड का पात्र नहीं होगा ।
2. अधिनियम तथा नियमों के सभी प्रावधान अधिसूचना में प्रतिकूल एवं असंगत यथावश्यक परिवर्तन के साथ ।
  3. 'समझौता डीलर' का अर्थ है ठेकेदार, या मामले के अनुसार उप ठेकेदार भी हो सकता है, जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत समझौता योजना का विकल्प दिया है ।
  4. 'उप-ठेकेदार' का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे मुख्य ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा मामले के अनुसार कार्य संविदा दिया गया है ।
  5. जो डीलर अधिसूचना के अंतर्गत समझौता कर भुगतान का विकल्प देता है और विभिन्न प्रकार के कार्य संविदा को निष्पादित करता है जिन पर इस अधिसूचना के अंतर्गत विभिन्न दरों पर कर लगना चाहिए प्रत्येक ऐसी संविदा पर ठेकेदार लागू दर के अनुसार ही कर अदा करेंगे ।
  6. इस समझौता योजना के उद्देश्य के लिए "कुल बिक्री" का अर्थ है :
    - (i) तालिका में क्रम संख्या (1) एवं (3) पर संवर्ग के संबंध में मजदूरी के प्रभार, सर्विस तथा अन्य प्रभारों के साथ ठेका के निष्पादन में सम्मिलित सामान (चाहे वह गुड्स हो या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के स्थानांतरण के लिए ठेका के अंतर्गत डीलर द्वारा प्राप्त या प्राप्त योग्य कुल प्रतिफल ।
    - (ii) तालिका में क्रम संख्या 2 पर संवर्ग के संबंध में भूमि की कीमत, मजदूरी की आपूर्ति के लिए तथा सर्विस एवं अन्य प्रभारों के साथ ठेका के निष्पादन में सम्मिलित सामान (चाहे वह गुड्स हो या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के स्थानांतरण के लिए ठेका के अंतर्गत डीलर द्वारा प्राप्त या प्राप्त योग्य कुल प्रतिफल ।
  7. समझौता डीलर के लिए कर अवधि तिमाही होगी अन्यथा डीलर या डीलरों की श्रेणी के लिए आयुक्त द्वारा निर्धारित होगी। यद्यपि देय कर माह के अंत में 21 दिनों के अंदर मासिक आधार पर समझौता डीलर द्वारा दिया जाएगा ।
  8. यदि किसी मामले में डीलर इस योजना के लिए विकल्प देता है परन्तु किसी भी स्तर पर इसकी निर्धारित शर्तों को मानने में असफल रहता है और इस योजना के विकल्प हेतु अयोग्य पाया जाता है, धारा 3 के अंतर्गत कर भुगतान के दायित्व सहित अधिनियम एवं नियमों के सभी प्रावधानों यदि कोई हो तो परिवर्तन के साथ लागू होंगे, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान डीलर ने समझौता योजना के लिए कभी विकल्प न दिया जो जिसमें चूक की गई हो तथा समझौता कर के रूप में ऐसे डीलर द्वारा राशि यदि जमा की गई हो जब्त कर ली जाएगी ।
  9. समझौता डीलर जिसने इस योजना के अंतर्गत समझौता कर भुगतान का विकल्प दिया है वो ठेका देने वाले/प्रदान करने वाले को आवेदन करेगा जोकि व्यक्तिगत या हिन्दु संयुक्त परिवार नहीं होगा, को ठेके के लिए लागू दर पर स्रोत पर कर कटौती के लिए प्राधिकृत करेगा जिसके लिए डीलर द्वारा समझौता विकल्प दिया गया है, तदनुसार ठेका प्रदान करने वाला टी डी एस की कटौती करेगा। ठेकेदार अपने रिटर्न में टी डी एस के हित का दावा नहीं कर सकता है बशर्ते ठेका प्रदान करने वाले ने राशि उचित सरकारी राजस्व में जमा कराई हो तथा टी डी एस प्रमाण पत्र की प्रति निर्धारित फार्म में उचित प्रकार से प्राप्त की जाए और साक्ष्य में चलान के साथ और रिटर्न के साथ जमा संलग्न किया जाए ।
  10. जब किसी समझौता डीलर ने इस अधिसूचना के अंतर्गत समझौता योजना के लिए विकल्प दिया है वे प्लॉट, मशीनरी तथा उपस्कर, स्कैप, सरप्लस, वेस्ट या निष्क्रीय संपत्ति सहित किसी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री, स्थानांतरण या निपटान कर सकता है, केन्द्रीय सांविधिक फॉर्म के विरुद्ध वो दिल्ली से बाहर ऐसी

बिक्री नहीं कर सकता है और अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट दर पर ऐसी बिक्री, स्थानांतरण या निपटान पर कर अदा करेगा, चाहे उसने इस योजना के लिए विकल्प न दिया हो।

11. कार्य संविदा के निष्पादन में ठेका प्रदान करने वाले द्वारा ठेकेदार को आपूर्ति किए गए सामान की कीमत दर्शाने वाली राशि पर समझौता डीलर द्वारा इस अधिसूचना के अंतर्गत कोई कर देय नहीं है, इसमें ऐसे सामान का स्वामित्व ठेके की शर्तों के अनुसार ठेका प्रदान करने वाले के पास रहेगा और ठेका प्रदान करने वाले द्वारा ठेकेदार को आपूर्ति की गई सामान की कीमत का प्रतिनिधित्व ठेके का हिस्सा नहीं होगा और यह ठेकेदार प्रदत्ता द्वारा ठेकेदार को आपूर्ति की गई सामान की कीमत पर ठेका प्रदत्ता द्वारा टी डी एस नहीं काटा जाएगा।

#### योजना को अपनाने के लिए रीति:

- (1) नए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले डीलर फार्म डीवैट-04 में अपने पंजीकरण आवेदन के साथ इस अधिसूचना के साथ फार्म डब्ल्यू सी 01 में आवेदन कर इस योजना के लिए विकल्प दे सकता है।
- (2) अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जो कार्य संविदा डीलर कर दे रहे हैं वे समझौता विकल्प के लागू वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से तीस दिनों के अंदर इस अधिसूचना में प्रदत्त फार्म डब्ल्यू सी 01 में आवेदन कर इस योजना के लिए विकल्प दे सकता है।

बशर्ते कि इस अधिसूचना की तिथि पर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कर देने वाला डीलर इस अधिसूचना की तिथि से तीस दिन की अवधि के अंदर इस अधिसूचना के साथ फार्म डब्ल्यू सी 01 में आवेदन कर इस योजना के लिए विकल्प दे सकता है:

इसके अलावा जो डीलर दिनांक 17 मार्च 2006 की अधिसूचना सं० एफ 3(78)/वित्त(टी एण्ड ई)/2005-06/1508ख के अंतर्गत कम्पोजीशन कर का भुगतान कर रहा है वो इस अधिसूचना की प्रभावी तिथि से तीस दिन की अवधि के अंदर इस अधिसूचना के साथ फार्म डब्ल्यू सी 01 में आवेदन कर इस अधिसूचना के अंतर्गत समझौता योजना के लिए विकल्प दे सकता है।

3. एक डीलर जो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कर अदा कर रहा है और इस योजना के तहत कर अदा का विकल्प देना चाहता है को अवधि के प्रथम दिन पर उसके पास उपलब्ध सम्पूर्ण सामान के ओपनिंग स्टॉक पर अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट दर पर कर अदा करना अपेक्षित है, जबसे डीलर इस योजना के अंतर्गत कर के भुगतान का विकल्प देता है। डीलर कम्पोजीशन योजना का लाभ उठाने के लिए अपने आवेदन के साथ ऐसे स्टॉक का विवरण तथा डीवैट-20 में कर के भुगतान के साक्ष्य में चलान की प्रति के साथ इस अधिसूचना के साथ फार्म एस एस 01 में कर के भुगतान का विवरण भी प्रस्तुत करेगा।
4. इस योजना के अंतर्गत डीलर द्वारा एक बार कर भुगतान का विकल्प देने के बाद नीचे क्रम सं० (6) पर विनिर्दिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर वह वित्त वर्ष के समापन से पूर्व अपना विकल्प वापस नहीं ले सकता है।
5. समझौता डीलर जिसने वर्ष विशेष के लिए इस योजना के अंतर्गत समझौता कर का विकल्प दिया है तो अधिनियम की धारा 20 में निहित शर्तों के अनुसार वो आने वाले वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत समझौता कर के भुगतान के लिए विकल्प नहीं दे सकता है और जब तक यह लागू है और इसके अलावा वित्त वर्ष के समापन पर तीस दिनों के अंदर फार्म डब्ल्यू सी 02 में इस योजना से निकासी के संबंध में सूचना देगा और योजना से हटने के लिए वर्ष के प्रथम दिवस पर उसके द्वारा ओपनिंग स्टॉक पर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान किए गए कर का क्रेडिट के दावों का पात्र है।

6. समझौता डीलर जिसने इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प दिया था और हाल ही की कर अवधि के लिए निर्धारित देय तिथि तक लगातार दो कर अवधियों के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने में असफल रहा है तो उसे प्रथम चूक से कर अवधि के प्रारंभ तक दोषी माना जाएगा:

- (i) इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान करने योग्य नहीं रहेगा
- (ii) अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कर का भुगतान करेगा।

ऐसे डीलर अधिनियम की धारा 20 में निहित शर्तों के अनुसार हाल ही की कर अवधि के लिए रिटर्न दायर करने के लिए निर्धारित देय तिथि की समाप्ति के सात दिनों के अंदर फार्म डब्ल्यू सी 02 में सूचना प्रस्तुत करेगा जिसके लिए चूक की गई है, चूक के संबंध में प्रथम कर अवधि के प्रथम दिवस पर दिल्ली में उसके द्वारा रखे गये ओपनिंग स्टॉक पर अधिनियम के अंतर्गत देय कर का "क्रेडिट दावा" के पात्र है।

7. जब समझौता डीलर ने पंजीकृत उप-ठेकेदार को कोई भुगतान किया हो, जिसने कार्य संविदा के निष्पादन के लिए इस अधिसूचना के अंतर्गत समझौता के लिए चाहे पूर्ण या आंशिक भी विकल्प दिया हो, समझौता डीलर इस अधिसूचना के साथ फार्म सी सी 01 में ऐसे उप-ठेकेदार को प्रमाण पत्र जारी करेगा। अपने रिटर्न के साथ ऐसे प्रमाण-पत्र को संलग्न कर उल्लेखित राशि इस योजना के अंतर्गत अपनी कुल बिक्री से कम करने का पात्र है। ऐसे उप ठेकेदार के फार्म डीवैट 17 में कुल बिक्री के संगठित हिस्से की राशि नहीं होगा। प्रमाणपत्र द्वारा कवर कुल बिक्री के संबंध में ऐसे उप-ठेकेदार को किए गए भुगतान में से टी डी एस काटा नहीं जाएगा।

यह अधिसूचना 01 अप्रैल 2013 से लागू होगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(रविन्द्र कुमार)

उप-सचिव-VI (वित्त)

दिनांक: 28/2/2013

सं0फा0 3/13/वित्त (राज-1)/2012-13/डी.एस.वी/180

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली को (हिन्दी अनुवाद सहित अनुलिपि में) एक अतिरिक्त प्रति आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
7. नि0सं0, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
9. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. पंजीयक, मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण, व्यापार भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
11. मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (नीति), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
12. व्यापार एवं कर विभाग की वेबसाइट
13. गार्ड फाईल।
14. वेबसाइट।

रविन्द्र

(रविन्द्र कुमार)

उप-सचिव-VI (वित्त)

Page 6 of 15

**व्यापार एवं कर विभाग,**  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
**प्रपत्र डब्ल्यूसी- 01**  
( नियम 16 (12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखें)  
भाग-क

धारा 16 की उपधारा 12 के अन्तर्गत सरकार द्वारा यथाधिसूचित योजना के संबंध में किसी पात्र कार्य निर्माण संविदाकार द्वारा समझौता/समाधान विकल्प के ये आवेदन पत्र

1. टिन		वार्ड नं०	
--------	--	-----------	--

2. आवेदक व्यापारी का पूरा नाम	
-------------------------------------	--

3. व्यापारी का पूरा पता	
----------------------------	--

4. तिथि जिस पर समाधान/ समझौता योजना लागू करने की मांग की गई है।	
---	--

5. समाधान/ समझौता कर की लागू दर**	<input type="checkbox"/> कुल बिक्री का 1%	<input type="checkbox"/> कुल बिक्री का 2%	<input type="checkbox"/> कुल बिक्री का 3%	<input type="checkbox"/> कुल बिक्री का 6%
---	--	--	--	---

\*\*कृपया उपयुक्त खाने या खानों में निशान लगाइये।

6. पूर्ववर्ती वर्ष में कुल बिक्री	(रु०)	
-----------------------------------	-------	--

7. चालू वर्ष में अनुमानित कुल बिक्री	(रु०)	
--------------------------------------	-------	--

8. जिस तिथि को योजना चुनी जा रही है उसके प्रथम दिन को धारित आदि स्टॉक पर देय कर	विवरण*	देय कर (रु०)
	1. ट्रेडिंग स्टॉक	
	2. कच्चा माल	
	3. पैकेजिंग सामग्री	
	4. तैयार माल	
	कुल	

(कृपया भाग "ख" पूरा करें)

9. उक्त 8 के अनुसार ज्ञात भुगतान किये गये समझौता कर का विवरण	विवरण	
	1. भुगतान किए गए समझौता कर की राशि* (रुपये)	
	2. जमा कराने की तिथि	
		दिन    महीना    वर्ष

3. चालान संख्या, यदि कोई है

कृपया जमा राशि का मूल चालान/सबूत संलग्न कीजिए)

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

10. सत्यापन मैं/हम— इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।									
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर _____									
पूरा नाम _____									
(प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम) _____									
पदनाम/स्टेटस _____									
स्थान									
दिनांक									
दिन			माह			वर्ष			

**व्यापार एवं कर विभाग,**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**  
**प्रपत्र डब्ल्यूसी 01**  
**(धारा 16 (12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखिए)**  
**( भाग-ख)**

उस अवधि के प्रथम दिन (अर्थात् दिनांक

को) धारित माल का विवरण, जिसके लिये समझौते की मांग की गई है।

(i) क्रय-विक्रय के भंडार का विवरण

	ट्रेडिंग स्टॉक का दर अनुसार विवरण	खरीद मूल्य (रु०)	उचित बाजार मूल्य* (रु०)	देय कर (रु०)
क	करयोग्य वस्तुएं 1% से			
ख	करयोग्य वस्तुएं 5% से			
ग	करयोग्य वस्तुएं 12.5% से			
घ	करयोग्य वस्तुएं 20% से			
ड	कुल			

क भाग के कार्य क्षेत्र 8 (i) तक डुलाई

(\*जिस अवधि के प्रारम्भिक दिन से समझौता चुना जा रहा है।)

(ii) कच्चे माल का विवरण

	कच्चे माल का दर अनुसार विवरण	खरीद मूल्य (रु०)	उचित बाजार मूल्य* (रु०)	देय कर (रु०)
क	करयोग्य वस्तुएं 1% से			
ख	करयोग्य वस्तुएं 5% से			
ग	करयोग्य वस्तुएं 12.5% से			
घ	करयोग्य वस्तुएं 20% से			
ड	कुल			

क भाग के कार्य क्षेत्र 8 (ii) तक डुलाई

(\*जिस अवधि के प्रारम्भिक दिन से समझौता चुना जा रहा है।)

(3.) पैकेजिंग सामग्री का विवरण

	पैकेजिंग सामग्री का दर अनुसार विवरण	खरीद मूल्य (रु०)	उचित बाजार मूल्य* (रु०)	देय कर (रु०)
क	करयोग्य वस्तुएं 1% से			
ख	करयोग्य वस्तुएं 5% से			
ग	करयोग्य वस्तुएं 12.5% से			
घ	करयोग्य वस्तुएं 20% से			
ड	कुल			

क भाग के कार्य क्षेत्र 8 (iii) तक डुलाई

(\*जिस अवधि के प्रारम्भिक दिन से समझौता चुना जा रहा है।)

iv) निर्मित सामग्री का विवरण													
	निर्मित सामग्री का दर अनुसार विवरण	खरीद मूल्य (रु०)				उचित बाजार मूल्य * (रु०)				देय कर (रु०)			
क	करयोग्य वस्तुएं 1% से												
ख	करयोग्य वस्तुएं 4% से												
ग	करयोग्य वस्तुएं 12.5% से												
घ	करयोग्य वस्तुएं 20% से												
ड	कुल												

क भाग के कार्य क्षेत्र 8 (iv) तक दुलाई

(\*जिस अवधि के प्रारम्भिक दिन से समझौता चुना जा रहा है)

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

5. सत्यापन													
मैं/हम- _____ इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।													
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर _____													
पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम) _____													
पदनाम _____													
स्थान _____													
दिनांक _____													
		दिन	माह	वर्ष									

व्यापार एवं कर विभाग,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
प्रपत्र डब्ल्यू सी 02  
(भाग-क)

( धारा 16(12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखिए)

धारा 16 की उपधारा (12) के अन्तर्गत सरकार के सामान द्वारा अधिसूचित योजना के संबंध में निर्माण कार्य संविदाकार द्वारा समझौता योजना अस्वीकरण संबंधी आवेदन पत्र

1. टिन		वार्ड संख्या	
--------	--	--------------	--

2. आवेदक व्यापारी का पूरा नाम	
-------------------------------	--

3. आवेदक व्यापारी का पूरा पता	
-------------------------------	--

4. समझौता योजना से हटने की तिथि	
---------------------------------	--

5. पूर्ववर्ती वर्ष में कुल बिक्री (रु०)	
---	--

6. समझौता योजना अस्वीकरण करने के कारण	
---------------------------------------	--

7. समझौता योजना से हटने पहले दिन खरीदी वस्तुओं तथा दिल्ली में स्टाक में पड़ी वस्तुओं पर इनपुट कर	विवरण*	इनपुट कर (रु०)
	(i) ट्रेडिंग स्टाक	
	(ii) कच्चा माल	
	(iii) पैकेजिंग सामग्री	
	(iv) तैयार माल	
	कुल	

(\*कृपया भाग ख को पूरा करें)

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

8. सत्यापन	
मैं/हम- _____ इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।	
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर _____	
पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम) _____	
पदनाम _____	
स्थान	
दिनांक	
	दिन    माह    वर्ष



व्यापार एवं कर विभाग,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
प्रपत्र डब्ल्यू सी 02  
(धारा 18(12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखिए)  
(भाग-ख)

समझौता योजना छोड़ने के वर्ष की प्रथम अप्रैल को धारित स्टॉक का विवरण

(i). ट्रेडिंग स्टॉक का विवरण जिस पर क्रेडिट चाहिए

क्र०सं०	कर इन्वाइस तिथि	कर इन्वाइस संख्या	अधिनियम के अधीन आपूर्तिकर्ता की टिन संख्या	खरीद मूल्य (रु०)	इनपुट कर(रु०)
कुल				→	

क-मुख्य फार्म (8)(i) में जोड़ें

(ii) कच्चे माल का विवरण जिस पर क्रेडिट चाहिए

क्र०सं०	कर इन्वाइस तिथि	कर इन्वाइस संख्या	अधिनियम के अधीन आपूर्तिकर्ता की टिन संख्या	खरीद मूल्य (रु०)	इनपुट कर(रु०)
कुल				→	

क मुख्य फार्म (8) (ii) में जोड़ें

(iii) पैकेजिंग सामग्री का विवरण जिस पर क्रेडिट चाहिए

क्र०सं०	कर इन्वाइस तिथि	कर इन्वाइस संख्या	अधिनियम के अधीन आपूर्तिकर्ता की टिन संख्या	खरीद मूल्य (रु०)	इनपुट कर(रु०)
कुल				→	

मुख्य फार्म (8) (iii) में जोड़ें

(iv) सत्यापन

मैं/हम- \_\_\_\_\_ इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम) \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

स्थान												
दिनांक												
	दिन	माह	वर्ष									

प्रपत्र सीसी 01

( धारा 16(12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखिएं)

ठेकेदार द्वारा प्रमाण-पत्र

(—से— तक के कर समय के लिए)

मैं \_\_\_\_\_ (घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम) \_\_\_\_\_  
(स्वामी/साझेदार/निदेशक/प्रबंधक/सचिव/कर्ता/ट्रस्टी/पद) मैसर्स \_\_\_\_\_  
का प्रभारी है। जो दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत टिन \_\_\_\_\_ वाला एक पंजीकृत  
व्यापारी है। इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने दिनांक \_\_\_\_\_ से लागू \_\_\_\_\_  
योजना \_\_\_\_\_ की क्रम सं० \_\_\_\_\_ की उक्त अधिसूचना में वर्णित दिनांक \_\_\_\_\_ की  
अधिसूचना सं० \_\_\_\_\_ के अनुसार धारा 16(12) के अन्तर्गत अधिसूचित समझौता  
योजना के अन्तर्गत कर के भुगतान को चुना है और मैंने उप-ठेका मैसर्स  
\_\_\_\_\_ को दिया है जो कि एक पंजीकृत व्यापारी भी है जिसकी  
टिन सं० \_\_\_\_\_ है।

क्र० सं०	उप-संविदा के रूप में दिये गये निर्माण कार्य ठेके का विवरण	उप-ठेके के नियत की तिथि	उप-संविदा का मूल्य	— से — तक की अवधि के दौरान उप-ठेकेदार को किए गये भुगतान की कुल राशि	उप-ठेके की शेष राशि	यदि कोई उप-संविदा है तो संपूर्ण की अंतिम तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1					(4-5)	
2						
3						
4						
			कुल			

\* आगे प्रमाणित करता हूँ कि मैंने कॉलम 5 में उल्लिखित देय कर की राशि संबंधित कोषागार में जमा कर दी है।

\* आगे उक्त कॉलम 5 में वर्णित देय कर की राशि सरकारी कोषागार में जमा करने की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ।

<p>सत्यापन  मैं/हम— ————— इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी  पूरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।</p>												
<p>प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर _____</p>												
<p>पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम) _____</p>												
<p>पदनाम _____</p>												
<p>स्थान</p>												
<p>दिनांक</p>												
			दिन			माह			वर्ष			

जो लागू न हो उसे काट दीजिए।